Website : www.prsuniv.ac.in E-mail ID- registrar@prsuniv.ac.in

प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ0प्र0
Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Prayagraj, U.P.

पत्रांक : प्रोरासिविवि/कुसका/2024–707 दिनांक 18 सितम्बर, 2024

सेवा में,

1–समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय परिसर।
2–प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, सम्बद्ध प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ0प्र0।

विषय : स्नातक तीन वर्षीय, स्नातक चार वर्षीय एवं परास्नातक एक वर्षीय, परास्नातक द्विवर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु संशोधित सामान्य दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के आलोक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्देशित स्नातक तीन वर्षीय, स्नातक चार वर्षीय एवं परास्नातक एक वर्षीय, परास्नातक द्विवर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु नवीन पाठ्यक्रम संरचना को सत्र 2024–25 से लागू किए जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए सामान्य दिशा–निर्देश विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–प्रोरासिविवि/कुसका/ 2024–470 दिनांक 16.07.2024 के माध्यम से प्रेषित किए गए थे। उक्त दिशा–निर्देशों में आंशिक संशोधनोपरान्त संशोधित दिशा–निर्देश पुनः इस पत्र से संलग्न कर प्रेषित हैं।

अतएव, आपसे अनुरोध है कि संलग्न संशोधित दिशा–निर्देशों का अवलोकन करते हुए उक्तानुसार सत्र 2024–25 में प्रवेश एवं छात्र–छात्राओं के पठन–पाठन कार्य सम्पन्न कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

(संजय कुमार)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त।

प्रतिलिपि –

1. माननीय कुलपति जी।
2. उप कुलसचिव–शैक्षणिक।
3. प्रभारी, ई–सामर्थ सेल।
4. प्रभारी एजेन्सी को इस निर्देश से प्रेषित कि उक्त पत्र को संलग्नकों सहित सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों की कालेज लॉग–इन तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज

स्नातक तीन वर्षीय, स्नातक चार वर्षीय, परास्नातक एक वर्षीय, परास्नातक द्विवर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु सामान्य दिशानिर्देश (संशोधित)

" राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के आलोक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्देशित उक्त पाठ्यक्रमों हेतु नवीन पाठ्यक्रम संरचना को सत्र 2024-2025 से लागू करने हेतु सामान्य दिशानिर्देश"

1. प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज से सम्बद्ध समस्त राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों पर यह दिशानिर्देश लागू होंगे तथा समस्त महाविद्यालयों को इन सभी दिशानिर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

2. NEP-2020 से सम्बन्धित उच्च शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्देशित नियम सत्र 2021-22 में स्नातक स्तर पर प्रवेशित छात्रों में पूर्व से ही लागू हैं। ये सभी विद्यार्थी चार वर्षीय स्नातक एवं परास्नातक हेतु अर्ह होंगे अर्थात तृतीय वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थी अर्हतानुसार चार वर्षीय स्नातक हेतु अध्ययन जारी रख सकते हैं।

3. महाविद्यालयों में चार वर्षीय स्नातक केवल उन विषयों में अनुमन्य होगा, जिन विषयों में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित परास्नातक पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहें हैं। यदि महाविद्यालय में केवल स्नातक पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं तो वह विद्यार्थी चतुर्थ वर्ष हेतु परास्नातक पाठ्यक्रम संचालित करने वाले महाविद्यालयों में प्रवेश ले सकते हैं।

4. न्यूनतम समान पाठ्यक्रम के आधार पर शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये स्नातक स्तर के समस्त विषयों के पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। कृपया केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ही सम्बन्धित पाठ्यक्रम को डाउनलोड करें।

5. इस दिशानिर्देश के साथ संलग्न पाठ्यक्रम संरचना के आधार पर ही सभी संकायों कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं प्रबन्धन पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या का निर्माण अनिवार्य रूप से करना होगा। ये दिशानिर्देश बी.ए., बी.एस-सी., बी.कॉम, बी.बी.ए. बी.सी.ए. एवं एम.ए., एम.एस-सी., एम.कॉम, एम.बी.ए. एम.सी.ए. पाठ्यक्रमों में ही प्रभावी होंगे।

6. **प्रवेश, विषय चयन एवं न्यूनतम अर्हताएं** :- समस्त राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 13.08.2019 को जारी कार्यालय ज्ञाप के अंतर्गत 100 पॉइंट आरक्षण रोस्टर/आरक्षण नीति का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

a) तीन वर्षीय/ चार वर्षीय स्नातक, एक वर्षीय परास्नातक पाठ्यक्रम:

- सर्वप्रथम विद्यार्थी महाविद्यालय में अपने संकाय का चुनाव स्नातक स्तर पर अपने प्रवेश पर ही करेगा।
- महाविद्यालय उपलब्ध सीटों एवं नियमों के आलोक में विद्यार्थी को सम्बन्धित संकाय में प्रवेश देंगे।
- प्रथम तीन वर्ष (प्रथम सेमेस्टर से षष्ठ सेमेस्टर) हेतु विद्यार्थी अपने संकाय से दो मुख्य विषयों का चुनाव करेगा। ये दोनों विषय अनिवार्य रूप से एक ही संकाय से होंगे।
- इसके उपरान्त विद्यार्थी को तीसरे विषय के रूप में प्रथम दो वर्ष (प्रथम सेमेस्टर से चतुर्थ सेमेस्टर) हेतु एक माइनर/इलेक्टिव विषय (न्यूनतम 5 क्रेडिट) अपने अथवा किसी दूसरे संकाय से अनिवार्यतः लेना होगा। महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर/इलेक्टिव विषय आवंटित किया जायेगा।
- प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर में एक-एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम/SEC एवं वैल्यू एडेड कोर्स का चयन करना होगा।
- प्रत्येक विद्यार्थी को द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में एक-एक सह-पाठ्यक्रम/AEC एवं समर ट्रेनिंग का चयन करना होगा।
- प्रत्येक विद्यार्थी को तृतीय वर्ष (पंचम एवं षष्ठ सेमेस्टर) में केवल दो मुख्य विषयों का अध्ययन करना होगा।
- प्रत्येक विद्यार्थी को चतुर्थ वर्ष (सप्तम एवं अष्टम सेमेस्टर) में तृतीय वर्ष में चयन किये गए दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा तथा पंचम वर्ष (नवम एवं दशम सेमेस्टर) में भी इसी विषय का अध्ययन करना होगा।

b) एक वर्षीय परास्नातक पाठ्यक्रम:

- यदि कोई विद्यार्थी न्यूनतम 160 क्रेडिट के साथ चार वर्षीय स्नातक की उपाधि की योग्यता पूर्ण करता है तो वह परास्नातक हेतु पंचम वर्ष (नवम एवं दशम सेमेस्टर) में प्रवेश ले सकता है। यहाँ पर विद्यार्थी को अपने चतुर्थ वर्ष के मुख्य विषय से ही परास्नातक उपाधि पूर्ण करनी होगी।

c) दो वर्षीय परास्नातक पाठ्यक्रम:

- दो वर्षीय परास्नातक हेतु विद्यार्थी पूर्वपात्रता (Prerequisites) के आधार पर स्नातक स्तर पर अध्ययन किये गए मेजर अथवा माइनर (न्यूनतम दो वर्ष तक पढ़े गए विषय सहित) में से किसी भी विषय में प्रवेश ले सकता है।
- यदि कोई विद्यार्थी तीन वर्ष की स्नातक उपाधि के पश्चात परास्नातक प्रथम वर्ष (सेमेस्टर प्रथम एवं द्वितीय) में प्रवेश लेता है और एक वर्ष पूर्ण करने के पश्चात निकास की सुविधा लेता है तो उसे सम्बन्धित पाठ्यक्रम में एक वर्ष की **परास्नातक डिप्लोमा** प्रदान किया जायेगा।
- दो वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर ही विद्यार्थी को सम्बन्धित संकाय में परास्नातक की उपाधि प्रदान की जाएगी।

d) **प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हताएं:**

क्र०स०	पाठ्यक्रम/संकाय	न्यूनतम अर्हताएं	
1.	बी०ए०/कला संकाय	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 40% (अनुसूचित जाति एवं जनजाति 35%) के साथ इंटरमीडिएट एवं समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।	**इसके साथ ही धारा-12 में वर्णित पूर्व-पात्रता का अनुपालन भी करना होगा।**
2.	बी०एस-सी०/ विज्ञान संकाय		
3.	बी०कॉम०/ वाणिज्य संकाय		
4.	बी०बी०ए०/प्रबन्धन संकाय	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 50% (अनुसूचित जाति एवं जनजाति 45%) के साथ इंटरमीडिएट एवं समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।	
5.	बी०सी०ए०/कम्प्यूटर विज्ञान संकाय		
नोट : हाईस्कूल के उपरांत तीन वर्षीय पॉलीटेक्नीक डिप्लोमा इंटरमीडिएट के समकक्ष मानी जाएगी।			

7. किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश की प्रक्रिया :-

- विद्यार्थी को सफलतापूर्वक एक वर्ष पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट के साथ निकास तथा दो वर्ष पूर्ण करने पर डिप्लोमा के साथ निकास की सुविधा उपलब्ध होगी। विद्यार्थी को निर्गत सर्टीफिकेट अथवा डिप्लोमा पर उसके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त रोजगार-परक (Vocational) प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।
- विद्यार्थी को सफलतापूर्वक तीन वर्ष पूर्ण करने पर ही स्नातक की उपाधि प्राप्त होगी।
- विद्यार्थी को सफलतापूर्वक चार वर्ष पूर्ण करने पर ही चार वर्षीय स्नातक (ऑनर्स अथवा शोध सहित ऑनर्स) की उपाधि प्राप्त होगी।
- विद्यार्थी को सफलतापूर्वक पांच वर्ष पूर्ण करने पर ही परास्नातक की उपाधि प्राप्त होगी।
- यदि कोई विद्यार्थी लेटरल इंट्री के अन्तर्गत परास्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेता है और सफलतापूर्वक प्रथम वर्ष पूर्ण करने के पश्चात निकास की सुविधा लेता है तो उसे परास्नातक में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रदान किया जायेगा।
- लेटरल इंट्री से प्रवेश लेने वाला विद्यार्थी यदि सफलतापूर्वक दो वर्ष पूर्ण करता है तो उसे सम्बन्धित विषय में परास्नातक की उपाधि प्रदान की जावेगी।
- एक वर्षीय परास्नातक हेतु विद्यार्थी को संस्था में संचालित हो रहे दो वर्षीय परास्नातक पाठ्यक्रम के तृतीय सेमेस्टर में लेटरल प्रवेश लेना होगा।
- विद्यार्थी निकास के बाद अगले स्तर पर पुनः प्रवेश ले सकेगा, किन्तु प्रवेश लेने पर उसे अपना सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/स्नातक उपाधि इत्यादि विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
- पूर्व पात्रता के आधार पर विद्यार्थी को द्वितीय वर्ष में मुख्य विषय परिवर्तन की सशर्त सुविधा उपलब्ध होगी।

8. संकाय एवं उपाधि पूर्ण करने की शर्ते :-

- विद्यार्थी जिस संकाय में सफलतापूर्वक न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी में उसको उपाधि प्रदान की जाएगी।
- यदि विद्यार्थी तीन वर्ष मे किसी एक संकाय में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर ऑफ लिबरल एजूकेशन की उपाधि दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी भी विषय के पूर्व पात्रता की आवश्यक शर्त नहीं होगी।

9. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सन्दर्भ में विद्यार्थी को प्राप्त होने वाली अन्य सुविधायें :-

- विद्यार्थी मान्यता प्राप्त संस्थाओं जैसे SWAYAM, MOOCs इत्यादि से यू0जी0सी0/शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमन्य सीमा 40 प्रतिशत तक क्रेडिट ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे तथा उसके अनुपात में कोर्स/विषय छोड़ सकेंगे। ऑनलाइन विषय चयनित करने की यह सुविधा मुख्य एवं माइनर विषयों को छोड़कर अन्य पर ही लागू होगी।
- विद्यार्थी उक्त ऑनलाइन प्लेटफार्म में पंजीकरण करके निःशुल्क अध्ययन कर सकते हैं। जिसकी परीक्षाएं विश्वविद्यालय सत्रान्त में संपन्न करेगा।
- विद्यार्थी द्वारा चयनित ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की सूचना विश्वविद्यालय को देनी होगी। अर्जित किये गये क्रेडिट का उपयोग विद्यार्थी सिर्फ एक उपाधि के लिये ही कर सकेगा। एक बार किसी क्रेडिट का प्रयोग करने के पश्चात् वह दूसरी उपाधि के लिये उसका प्रयोग नहीं कर सकेगा।
- शासनादेशानुसार प्रत्येक महाविद्यालय एक डिजिटल नोडल सेन्टर की स्थापना करेगा तथा डिजिटल नोडल ऑफिसर की नियुक्ति करेगा। नोडल ऑफिसर विद्यार्थियों को उक्त प्लेटफॉर्म से कोर्स चयन, उनके मूल्यांकन तथा क्रेडिट ट्रांसफर में मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करेंगे।

10. उपरोक्त शासनादेश के निर्देशानुक्रम में उक्त संरचना मूल और अनुप्रयुक्त विज्ञान, कला, वाणिज्य एवं प्रबंधन संकायों पर लागू होंगी। तदनुक्रम में निम्न बिन्दुओं पर भी प्रमुखता से ध्यान देना होगा :-

- स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए **40 क्रेडिट** संचित करने के सापेक्ष दो मेजर विषय, एक माइनर विषय, एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम(SEC), एक सह-पाठ्यक्रम(AEC), एक वैल्यू एडेड पाठ्यक्रम(VAC) एवं एक समर ट्रेनिंग होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर सम्बन्धित संकाय में **प्रमाण पत्र** प्रदान किया जा सकता है (सन्दर्भ - संलग्नक-1)।
- द्वितीय वर्ष के लिए **40 क्रेडिट** संचित करने के सापेक्ष दो मेजर विषय, एक माइनर विषय, एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम(SEC), एक सह-पाठ्यक्रम(AEC), एक वैल्यू एडेड पाठ्यक्रम(VAC) एवं एक समर ट्रेनिंग होंगे, द्वितीय वर्ष तक कुल **80** क्रेडिट प्राप्त करने पर सम्बन्धित संकाय में **डिप्लोमा** प्रदान किया जा सकता है (सन्दर्भ-संलग्नक-1)।
- तृतीय वर्ष में **40 क्रेडिट** संचित करने के सापेक्ष दो मेजर विषय होंगे, तृतीय वर्ष तक कुल **120** क्रेडिट प्राप्त करने पर सम्बन्धित संकाय में स्नातक **उपाधि** प्रदान किया जा सकता है (सन्दर्भ-संलग्नक-1)।
- स्नातक चतुर्थ वर्ष में **40** क्रेडिट संचित करने के सापेक्ष **40** क्रेडिट के सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम होंगे, चतुर्थ वर्ष तक कुल **160** क्रेडिट प्राप्त करने पर सम्बन्धित संकाय में **स्नातक (ऑनर्स) उपाधि** प्रदान किया जा सकता है (सन्दर्भ-संलग्नक-1)।
- स्नातक चतुर्थ वर्ष में **40** क्रेडिट संचित करने के सापेक्ष **28** क्रेडिट के सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम तथा **12** क्रेडिट का रिसर्च प्रोजेक्ट होगा, चतुर्थ वर्ष तक कुल **160** क्रेडिट प्राप्त करने पर सम्बन्धित संकाय में **स्नातक (शोध सहित ऑनर्स) उपाधि** प्रदान किया जा सकता है (सन्दर्भ-संलग्नक-1)।
- परास्नातक प्रथम वर्ष में **40** क्रेडिट संचित करने के सापेक्ष **40** क्रेडिट के सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम होंगे, प्रथम वर्ष तक कुल **40** क्रेडिट प्राप्त करने पर सम्बन्धित विषय में **एक वर्षीय परास्नातक डिप्लोमा** प्रदान किया जा सकता है (सन्दर्भ-संलग्नक-1)।
- परास्नातक द्वितीय वर्ष में **40** क्रेडिट संचित करने के सापेक्ष **20** क्रेडिट के सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम तथा **20** क्रेडिट का DISSERTATION होगा, द्वितीय वर्ष तक कुल **80** क्रेडिट प्राप्त करने पर सम्बन्धित विषय में **परास्नातक उपाधि** प्रदान किया जा सकता है (सन्दर्भ-संलग्नक-1)।

- तीन/चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में अधिकतम छः/आठ वर्ष तक पुनः प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश की व्यवस्था होगी। अधिकतम अवधि समाप्त होने पर किसी भी अवस्था में पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा। द्विवर्षीय परास्नातक पाठ्यक्रमों में यह अवधि 4 वर्ष होगी।

11. माइनर/इलेक्टिव विषय का चयन -

- माइनर/इलैक्टिव विषय, मुख्य विषयों के अतिरिक्त कोई तीसरा विषय (न्यूनतम 5 क्रेडिट) होगा। बहुविषयक्ता सुनिश्चित करने के लिये माइनर/इलैक्टिव विषय विद्यार्थी किसी भी संकाय (Own faculty or Other faculty) से ले सकता है। ***एकल विषय वाले पाठ्यक्रमों (बी.कॉम, बीबीए, बीसीए) में माइनर/इलैक्टिव विषय सम्बंधित विषय का ही होगा।***
- विद्यार्थी को स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में माइनर/इलैक्टिव विषय लेना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर विषय को आवंटित कर सकता है। तृतीय वर्ष में माइनर/इलैक्टिव विषय की सुविधा नहीं है।
- विद्यार्थी अपनी रूचि एवं सुविधानुसार माइनर/इलैक्टिव विषय प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के समय ही निश्चित करेगा, जिसे वह दो वर्ष (प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर) तक अध्ययन करेगा। एक बार माइनर/इलैक्टिव विषय चयन के पश्चात विषय परिवर्तन नहीं होगा।
- **माइनर इलैक्टिव विषय का चुनाव संस्थान में संचालित मुख्य विषयों में से किया जायेगा। चयनित माइनर विषय की कक्षायें संकाय में संचालित उसी मुख्य विषयों के कोर्स की कक्षाओं के साथ ही होगी तथा उसकी आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षा भी उसी के साथ होगी।**

12. स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु विषय-वर्ग/संकाय के लिए पूर्व पात्रता -

- विज्ञान वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय, कला संकाय तथा कृषि संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र (eligible) होगा; किन्तु यदि छात्र ने इंटरमीडिएट/हाईस्कूल स्तर पर विज्ञान/कला वर्ग के अंतर्गत गणित विषय लिया है तो वह वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत भी प्रवेश प्राप्त करने योग्य होगा।
- कला वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र (eligible) होगा; किन्तु यदि छात्र ने इंटरमीडिएट स्तर पर कला वर्ग के अंतर्गत अर्थशास्त्र अथवा गणित विषय लिया है तो वह वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत भी प्रवेश प्राप्त करने योग्य होगा।
- वाणिज्य वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय तथा कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र (eligible) होगा।
- कृषि वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कृषि संकाय तथा कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र (eligible) होगा।
- व्यावसायिक वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र (eligible) होगा।

13. प्रवेश के लिए सीटों की अनुमन्यता एवं स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए कला संकाय/ विज्ञान संकाय के अन्तर्गत विषय-संयोजन :

a) विश्वविद्यालय स्तर पर **कला संकाय** के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर चयन हेतु उपलब्ध विषय निम्नांकित तालिका में सूचीबद्ध हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की अनुशंषा के अनुरूप तथा विश्वविद्यालय व्यवस्था के दृष्टिगत स्नातक प्रथम सेमेस्टर में कला संकाय के अन्तर्गत प्रवेश के समय निम्नांकित तालिका से **02 मेजर विषयों एवं तीसरा माइनर विषय(दो वर्षों हेतु)** का चुनाव चयन सम्बन्धी निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जाना होगा। आगामी सत्रों हेतु विषय-चयन की प्रक्रिया को आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया जा सकता है। प्रक्रिया परिवर्तन की दशा में विश्वविद्यालय स्तर से पृथक से अधिसूचना जारी की जाएगी।

1.	हिन्दी साहित्य	**2.**	हिन्दी भाषा	**3.**	गृह विज्ञान
4.	संस्कृत	**5.**	उर्दू	**6.**	संगीत तबला
7.	प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व	**8.**	राजनीति विज्ञान	**9.**	संगीत वोकल
10.	दर्शनशास्त्र	**11.**	रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन	**12.**	शारीरिक शिक्षा
13.	अर्थशास्त्र	**14.**	समाजशास्त्र	**15.**	संगीत सितार
16.	मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास	**17.**	शिक्षाशास्त्र	**18.**	ड्रॉइंग एवं पेन्टिंग
19.	अंग्रेजी साहित्य	**20.**	भूगोल	**21.**	गणित
22.	अंग्रेजी भाषा	**23.**	मनोविज्ञान	**24.**	समाज कार्य

b) कला संकाय में मेजर/माइनर विषय-चयन सम्बन्धी निर्देश :

1. दो से अधिक भाषा विषय एक साथ चयनित नहीं किये जायेंगे।
2. प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व तथा मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विषय एक साथ चयनित नहीं किये जायेंगे।
3. समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विषय एक साथ चयनित नहीं किये जायेंगे।
4. मनोविज्ञान तथा शिक्षाशास्त्र विषय एक साथ चयनित नहीं किये जायेंगे।
5. गृहविज्ञान तथा रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन विषय एक साथ चयनित नहीं किये जायेंगे।

c) विज्ञान संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर चयन हेतु उपलब्ध विषयों को तीन समूहों (**Group-A, Group-B, Group-C**) में विभक्त करते हुए निम्नांकित तालिका में सूचीबद्ध किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की अनुशंषा के अनुरूप तथा विश्वविद्यालय व्यवस्था के दृष्टिगत स्नातक प्रथम सेमेस्टर में विज्ञान संकाय के अन्तर्गत प्रवेश के समय निम्नांकित तालिका से **02 मेजर विषयों एवं तीसरा माइनर विषय(दो वर्षों हेतु)** का चुनाव चयन सम्बन्धी निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जाना होगा। आगामी सत्रों हेतु विषय-चयन की प्रक्रिया को आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया जा सकता है। प्रक्रिया परिवर्तन की दशा में विश्वविद्यालय स्तर से पृथक से अधिसूचना जारी की जाएगी।

Group-A (Major/Minor)	Group-B (Major/Minor)	Group-C (Major/Minor)
1. Physics 2. Mathematics	1. Chemistry 2. Computer Application 3. Economics 4. Physical Education 5. Defence & Strategic Studies 6. Computer Science 7. Biotechnology	1. Botany 2. Zoology

d) विज्ञान संकाय विषय-चयन सम्बन्धी निर्देश :

i) Pre-requisite की दशा में विद्यार्थी को **Group-A, B** एवं **C** में से दो मुख्य विषय तथा एक माइनर विषय का चयन करना होगा। विद्यार्थी माइनर विषय किसी दूसरे संकाय से भी चयनित कर सकता है।

ii) **Group-A** से विषय का चयन विद्यार्थी तभी कर सकता है जब उसने इंटरमीडिएट Physics और Mathematics के साथ उत्तीर्ण किया हो।

iii) **Group-C** से विषय का चयन विद्यार्थी तभी कर सकता है जब उसने इंटरमीडिएट Biology के साथ उत्तीर्ण किया हो।

iv) **Group-B** के विषयों में से Chemistry का चयन विद्यार्थी तभी कर सकता है जब उसने इंटरमीडिएट में Chemistry का अध्ययन किया हो।

e) विज्ञान, वाणिज्य एवं प्रबन्ध संकाय के अन्तर्गत संचालित एकल विषय बी०कॉम०/बी०बी०ए०/बी०सी०ए० इत्यादि के लिए निर्धारित क्रेडिट के मेजर विषयों का चयन सम्बंधित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार करना होगा। एकल विषयों के विद्यार्थियों को भी न्यूनतम 5 क्रेडिट का माइनर विषय किसी अन्य विषय से चयनित करना होगा। (संलग्नक-1)

f) महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए सीटों की अनुमन्यता :

i) शासनादेश संख्या – 421/70-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई 2015 के अनुसार सम्बद्ध महाविद्यालयों में बी०ए० पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एक ईकाई के अन्तर्गत सम्बद्धता प्राप्त मेजर विषयों में प्रति विषय 60 सीटों के गुणक में अनुमन्य कुल सीटों की गणना निम्नांकित प्रकार से की जाएगी :

{पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमन्य कुल सीटें = संकाय में सम्बद्धता प्राप्त मेजर विषय X 60}

उदाहरणार्थ : यदि किसी महाविद्यालय को बी०ए० पाठ्यक्रम हेतु 07 विषयों में सम्बद्धता प्राप्त है तो उस महाविद्यालय के बी०ए० पाठ्यक्रम की एक इकाई के अन्तर्गत प्रवेश हेतु कुल 07 X 60 = 420 सीटें अनुमन्य होंगी।

ii) किसी पाठ्यक्रम के लिए आगणित कुल सीटें सम्बन्धित पाठ्यक्रम में एक इकाई (यूनिट) की प्रवेश क्षमता (उपरोक्त उदाहरण में 420) को प्रदर्शित करेंगी; तद्क्रम में, प्रत्येक विषय के एक अनुभाग/सेक्शन में 60 सीट होंगी।

iii) कला संकाय के अन्तर्गत न्यूनतम 07 विषयों की मान्यता तथा प्रति विषय 01 शिक्षक के अनुमोदन के साथ प्रति इकाई 420 सीटों की सम्बद्धता की स्थिति में विभिन्न विषय संयोजनों के साथ किसी एक विषय में प्रवेश के लिए अनुमन्य सीटों की संख्या अधिकतम 180 होगी।

उदाहरणार्थ के रूप में यदि 7 विषय A,B,C,D,E,F,G हैं तो विषय संयोजन इस प्रकार होगा : -			
1.	**A,B,C**	**5.**	**E,F,G**
2.	**B,C,D**	**6.**	**F,G,A**
3.	**C,D,E**	**7.**	**G,A,B**
4.	**D,E,F**		

परन्तु किसी एक विषय में शिक्षकों की संख्या 01 से अधिक होने पर विभिन्न विषयों के संयोजनों के साथ उस विषय में अग्रेतर सीटें शिक्षकों की संख्या के सापेक्ष 60 के गुणक में निर्धारित होंगी; अर्थात यदि एक विषय में 3 अनुमोदित शिक्षक हैं, तो उस विषय में अधिकतम 180+(02x60)=300 सीटें हो सकती हैं। किन्तु किसी भी दशा में एक पाठ्यक्रम के लिए अनुमन्य मूल सीटों का अतिक्रमण नहीं किया जायेगा।

iv) विज्ञान संकाय के अन्तर्गत न्यूनतम 5 विषयों की मान्यता तथा प्रति विषय 01 शिक्षक के अनुमोदन के साथ प्रवेश के लिए प्रति सेक्शन 60 सीट (2 सेक्शन गणित ग्रुप, 2 सेक्शन जीव विज्ञान ग्रुप) अधिकतम 240 सीटें उपलब्ध होंगी तथा एक विषय पुंज हेतु अधिकतम 120 सीट अनुमन्य होंगी।

(a) विज्ञान विषयों में विषय संयोजनों (**Subject Combinations**) के साथ किसी भी दशा में मात्र दो ही विषय पुंज (**Mathematics** तथा **Biological/Life Science**) निर्मित होते हैं। अतः प्रवेश हेतु अनुमन्य कुल सीटें दोनों विषय पुंज में बराबर से विभाजित करते हुए विद्यार्थियों को इस प्रतिबन्ध के साथ प्रवेश दिया जायेगा कि दोनों विषय पुंज के किसी उभयनिष्ठ (**Common**) विषय में विद्यार्थियों की संख्या अनुमन्य कुल सीटों की संख्या से अधिक न हो।

(b) प्रवेश के लिए अनुमन्य सीटों के 02 विषय-पुंज में बराबर विभक्त किये जाने पर प्रत्येक विषय पुंज के लिए उपलब्ध सीटों पर उसी विषय पुंज को चयनित करने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

v) विभिन्न विषयों में संयोजनों में प्रवेश के लिए निर्धारित सीटों की संख्या का कुल योग किसी भी दशा में सम्बन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अनुमन्य कुल सीटों की संख्या को अतिक्रमित नहीं किया जायेगा।

vi) शासनादेश संख्या – 421/70-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई 2015 के क्रम में आवेदन एवं संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कुलपति महोदय द्वारा विषयवार सीटों की संख्या में एक सत्र के लिए 60 से 80 की अभिवृद्धि की जा सकती है।

vii) माइनर विषयों (**Subject Elective**) के सन्दर्भ में उपलब्ध सीटों की गणना के लिए धारा-13f(i) की व्यवस्था बाध्यकारी होगी।

viii) बी०कॉम० की सम्बद्धता के सापेक्ष पाठ्यक्रम में दो सेक्शन के लिए प्रवेश हेतु सीटों की अनुमन्य संख्या **120** होगी।

ix) संसाधनों की उपलब्धता एवं आवेदन के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रम में एक या अधिक इकाई अथवा विषयवार अतिरिक्त अनुभाग/सेक्शन की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

14. सह -पाठ्यक्रम/कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (Co-curricular/ Ability Enhancement Courses) –

- प्रत्येक विद्यार्थी स्नातक स्तर पर आधुनिक भारतीय भाषा तथा अंग्रेजी भाषा पर आधारित सह-पाठ्यक्रम/AEC (Co-curricular/ Ability Enhancement Courses) का चयन करेगा। पाठ्यक्रमों की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट में उपलब्ध है। जो निम्नवत हैं :

वर्ष	सेमेस्टर	पाठ्यक्रम
प्रथम वर्ष	द्वितीय सेमेस्टर	1. हिन्दी भाषा कौशल एवं संचार
द्वितीय वर्ष	चतुर्थ सेमेस्टर	2. English Language Skill and Communication

15. कौशल-विकास/रोजगार-परक (Vocational) पाठ्यक्रम :-

a) कौशल-विकास/रोजगार परक (Vocational) पाठ्यक्रमों के सन्दर्भ में महाविद्यालय के स्तर पर उच्च शिक्षा विभाग के पत्र संख्या 602/सत्तर-3-2021-08(35)/2020 दिनांक 22 फरवरी 2021 के अनुक्रम में कार्यवाही अपेक्षित है।

b) कौशल विकास/रोजगारपरक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में महाविद्यालय उपरोक्त संदर्भित पत्र में निर्दिष्ट व्यवस्था के अतिरिक्त जिले के पॉलिटेक्निक, आई०टी०आई०, अथवा अन्य मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों से भी अनुबन्ध पत्र (MoU) हस्ताक्षरित कर सकते हैं। अनुबन्ध की एक प्रति अनुमोदनार्थ विश्वविद्यालय में जमा करनी होगी।

c) शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र में निर्दिष्ट व्यवस्था के अतिरिक्त महाविद्यालयों से यह अपेक्षा है कि वे अपने परिसर में न्यूनतम एक विशेषज्ञता युक्त कौशल विकास (Skill Development) का क्लस्टर (Cluster) विकसित करें और छात्रों को इसका व्यापक लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से अपने निकट के महाविद्यालय से कौशल-विकास के सम्बन्ध में अनुबन्ध पत्र (MoU) हस्ताक्षरित करें, जिससे प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन की क्रियाविधि (Mode of Operation) स्पष्टता के साथ अंकित हो।

d) चूँकि कौशल विकास(skill development)/वोकेशनल प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन हेतु महाविद्यालय को शासन स्तर से किसी प्रकार का अनुदान प्रदान नहीं किया जा रहा है। अतः महाविद्यालय इस सम्बन्ध में विद्यार्थियों की संख्या एवं आवश्यक संसाधन के आकलन के उपरान्त कौशल विकास से सम्बन्धित प्रशिक्षण का शुल्क-निर्धारण No-Profit-No-Loss के आधार पर अपने स्तर से करें।

e) कौशल-विकास/रोजगारपरक (Vocational) पाठ्यक्रमों के लिए महाविद्यालय समयानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करेंगे तथा प्रशिक्षण/पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री (Study/Training Materials) की उपलब्धता महाविद्यालय अपने स्तर से करेंगे।

f) विश्वविद्यालय परिसर के विभाग तथा महाविद्यालय वोकेशनल पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन/प्रशिक्षण विषय वस्तु का निर्धारण अपने स्तर पर करेंगे तथा अपने यहाँ संचालित किये जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की सत्रवार सूची तथा पाठ्यक्रम संरचना अनिवार्यतः प्रवेश प्रारम्भ होने से पूर्व विश्वविद्यालय को अध्ययन समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेंगे।

g) संचालन की दृष्टि से वोकेशनल (Vocational) पाठ्यक्रम दो प्रकार के होंगे –

i) Regressive Nature - एक सेमेस्टर में पूर्ण होने वाले Individual nature के पाठ्यक्रम।

ii) Progressive Nature – एक ही पाठ्यक्रम की विशेषज्ञता अग्रिम सेमेस्टर में क्रमशः बढ़ती जाएगी।

h) **वोकेशनल (Vocational) पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन 100 अंकों के सापेक्ष निम्नवत व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। इन पाठ्यक्रमों का संचालन, परीक्षा एवं मूल्यांकन महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के विभाग अपने स्तर से करेंगे।**

i) **विद्यार्थी के प्रशिक्षण (ट्रेनिंग आधारित) कार्य का मूल्यांकन सत्रान्त में 60 अंकों में किया जायेगा।**

ii) **40 अंकों की सैद्धान्तिक परीक्षा भी सत्रान्त में सम्पन्न होगी।**

iii) **वोकेशनल पाठ्यक्रमों को उत्तीर्ण करने के लिए 100 अंकों के सापेक्ष 33% अंक प्राप्त करना आवश्यक है।**

i) महाविद्यालय को विद्यार्थियों की संख्या एवं संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से अधिकतम 15 वोकेशनल प्रशिक्षण का क्लस्टर संचालित करने की अनुमति होगी। यदि कोई महाविद्यालय 15 से अधिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करना चाहता है तो यथोचित कारणों के साथ संसाधनों की उपलब्धता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए पृथक रूप से क्लस्टर संचालित करने की अनुमति के लिए विश्वविद्यालय को आवेदन करना होगा।

j) यद्यपि महाविद्यालय को स्थानीय आवश्यकता और कॉर्पोरेट सेक्टर की मांग के-अनुरूप कौशल विकास प्रशिक्षण से सम्बन्धित पाठ्यक्रम-का निर्धारण अपने स्तर से करने की स्वतंत्रता है, तथापि सुविधा हेतु व्यवसायिक कार्यक्रमों की सन्दर्भ सूची निम्नवत नियमानुसार दी जा रही।

k) निम्न तालिकाओं में सूचीबद्ध पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय अपनी सुविधानुसार अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर सकते हैं किन्तु किसी व्यवसायिक संस्था से अनुबन्ध करके पाठ्यक्रम संचालित करने को प्राथमिकता दी जाएगी।

सूची-अ: वर्त्तमान में संचालित व्यावसायिक/कौशल विकास पाठ्यक्रमों की सूची :-					
1	Basics of Computer Applications	8	पत्रकारिता एवं जन संचार	15	Gardening
2	Basics of Microsoft Office	9	Yoga and Fitness	16	Remote sensing
3	Basics of Defence Journalism	10	Tour Guide	17	Professional Ethics
4	Communication Skills	11	सृजनात्मक लेखन	18	Presentation Skills
5	Professional Counseling and Communication	12	संगणक एवं ज्योतिर्विज्ञान	19	Food Processing
6	Entrepreneurship Development	13	Political Journalism	20	Fisheries
7	Maintenance and Repairing of Electrical Equipment	14	Soft Skills Development	21	Computer Application
सूची-ब: महाविद्यालय निम्न व्यावसायिक/कौशल विकास पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ किये जा सकते हैं :-					
1	खेल पोषण एवं भौतिक चिकित्सा	9	वीडियोग्राफी	17	आतिथ्य प्रबन्धन
2	रेशम कीट पालन	10	फोटोग्राफी	18	फर्नीचर विकास
3	मधुमक्खी पालन	11	यात्रा प्रबन्धन	19	नर्सरी प्रबन्धन
4	कुटीर उद्योग/ कुक्कुट पालन	12	प्रिन्टिंग	20	मूर्तिशिल्प
5	पोषण एवं स्वास्थ्य देखभाल विज्ञान	13	प्रकाशन	21	पर्यटन प्रबन्धन
6	नवीनीकरणीय ऊर्जा प्रबन्धन	14	हस्तशिल्प	22	फैशन डिज़ाइन
7	अचार एवं पापड़ निर्माण	15	मृदा एवं जल संरक्षण	23	इंटीरियर डिज़ाइन
8	डेयरी उत्पाद एवं प्रसंस्करण	16	सौर ऊर्जा	24	हरितगृह तकनीक

- कौशल-विकास/रोजगार-परक (Vocational) पाठ्यक्रमों के लिए महाविद्यालय समयानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करेंगे।
- कौशल-विकास/रोजगार-परक (Vocational) पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन/प्रशिक्षण सामग्री (Study/Training Material) की उपलब्धता महाविद्यालय अपने स्तर से करेंगे।

16. (a) मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम (Value Added Courses) :

- प्रत्येक विद्यार्थी स्नातक स्तर पर भारतीय ज्ञान परंपरा, पर्यावरण, तकनीक, स्वास्थ्य एवं कल्याण, योग, खेल एवं फिटनेस पर आधारित वैल्यू एडेड कोर्स/VAC (Value Added Courses) का चयन करेगा। पाठ्यक्रमों की सूची निम्नवत है:-

वर्ष	सेमेस्टर	पाठ्यक्रम	चयन की शर्तें
प्रथम वर्ष	प्रथम सेमेस्टर	1. Understanding India	किसी एक का चयन करें
		2. Environmental Studies	
द्वितीय वर्ष	तृतीय सेमेस्टर	1. Digital and Technological Solutions	किसी एक का चयन करें
		2. Health, Wellness and Yoga	
		3. NCC	
		4. NSS	
		5. Rovers and Rangers	

(b) समर ट्रेनिंग:

- प्रत्येक विद्यार्थी द्वितीय सेमेस्टर एवं चतुर्थ सेमेस्टर में 15 दिन की समर ट्रेनिंग करेगा, जिसमे फील्ड वर्क/सर्वे वर्क/सामुदायिक विजिट/औद्योगिक विजिट/इंटर्नशिप इत्यादि की जाएगी।

(c) शोध परियोजना (Research Project):

- प्रत्येक विद्यार्थी आठवें सेमेस्टर में एक शोध परियोजना करेगा, जिसका मूल्यांकन भी आठवें सेमेस्टर में ही होगा। शोध परियोजना के लिए विषय एवं शोध पर्यवेक्षक का निर्धारण सातवें सेमेस्टर में प्रवेश के समय किया जायेगा। महाविद्यालय 3 माह तक रिपोर्ट को सुरक्षित रखेंगे।

(c) शोध-प्रबंध (Dissertation):

- शोध प्रबंध हेतु प्रत्येक विद्यार्थी को एक शोध विषय एवं एक सुपरवाइजर का निर्धारण परास्नातक प्रथम वर्ष में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के तदोपरांत ही किया जायेगा। प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म में शोध विषय एवं सुपरवाइजर का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। एक बार शोध विषय निर्धारित हो जाने के पश्चात किसी भी दशा में परवर्तित नहीं किया जायेगा।
- सुपरवाइजर द्वारा निरन्तर विद्यार्थी को उसके शोध विषय पर सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जायेगा और प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में उसके शोध कार्य के प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
- शोध प्रबंध का मूल्यांकन परास्नातक अंतिम वर्ष में किया जायेगा। महाविद्यालय 3 माह तक शोध प्रबंध को सुरक्षित रखेंगे।

17. क्रेडिट-ग्रेडिंग प्रणाली तथा परीक्षा एवं मूल्यांकन व्यवस्था –

- स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों की परीक्षा एवं मूल्यांकन पूर्व की तरह सेमेस्टर पद्धति से होगा।
- समस्त विषयों में क्रेडिट एवं ग्रेडिंग प्रणाली लागू होगी और सैद्धांतिक विषयों हेतु एक क्रेडिट एक घंटे के अध्यापन के बराबर होगा जबकि प्रायोगिक विषयों हेतु एक क्रेडिट दो घंटे के अध्यापन के बराबर होगा।
- मेजर एवं माइनर विषयों के प्रश्न पत्र 4/5 क्रेडिट के होंगे, जबकि व्यवसायिक एवं सह-पाठ्यक्रम 3 क्रेडिट तथा वैल्यू एडेड कोर्स एवं समर ट्रेनिंग 2 क्रेडिट के होंगे।
- 5 क्रेडिट के प्रश्न पत्र की कक्षाएँ सत्र में न्यूनतम 75 घंटे की होगी। इसी प्रकार 4 क्रेडिट के प्रश्न पत्र की कक्षाएँ सत्र में न्यूनतम 60 घंटे, 3 क्रेडिट के प्रश्न पत्र की कक्षाएँ सत्र में न्यूनतम 45 घंटे तथा 1 क्रेडिट के प्रायोगिक प्रश्न पत्र की कक्षाएँ सत्र में न्यूनतम 30 घंटे की होगी।
- सभी विषयों (लिखित/प्रायोगिक/ शोध परियोजना/Dissertation/समर ट्रेनिंग आदि) के प्रश्नपत्र **100 अंक** के होंगे, जिनको क्रेडिट एवं ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर परिवर्तित करके अंकपत्र तैयार किये जायेंगे।
- सभी मेजर एवं माइनर विषयों/प्रश्नपत्रों की परीक्षाएं 25 प्रतिशत सतत आन्तरिक मूल्यांकन (CIE) एवं 75 प्रतिशत वाह्य मूल्यांकन (ETE) (विश्वविद्यालय परीक्षा) के आधार पर की जायेगी।

सतत आन्तरिक मूल्यांकन (Continuous Internal Evaluation):

(a.) सैद्धांतिक विषयों में प्रत्येक सत्र (सेमेस्टर) के दौरान सतत आंतरिक मूल्यांकन तीन अवसरों पर किया जाएगा। प्रत्येक आंतरिक मूल्यांकन का पूर्णांक 12.5 अंक एवं अधिकतम कालावधि 45 मिनट की होगी।

(b.) इन तीन आंतरिक मूल्यांकन में से कम से कम दो आन्तरिक मूल्यांकन लिखित परीक्षण एवं तीसरा आन्तरिक मूल्यांकन लिखित/ सेमिनार/असाइनमेंट/ प्रस्तुतीकरण आदि के रूप में होगा। लिखित परीक्षा वर्णनात्मक प्रकार की होगी।

(c.) प्रायोगिक विषयों में भी तीन अवसरों पर प्रायोगिक-1, प्रायोगिक-2 एवं प्रायोगिक-3 के रूप में सतत आन्तरिक मूल्यांकन किया जायेगा; जिसकी प्रकृति पूर्णतया प्रायोगिक होगी।

(d.) **उदाहरणार्थ :**

सतत आंतरिक मूल्यांकन					
Continuous Internal Evolution (CIE) (सतत आंतरिक मूल्यांकन)	TEST – 1	TEST – 2	TEST – 3	Best of Any Two Test	TOTAL
	(MM-12.50)	**(MM-12.50)**	**(MM-12.50)**	**(Test-1/Test-2 /Test-3)**	**(MM-25)**
Paper: (Theory/Practical)	6.00	7.00	5.00	6.00 + 7.00	13.00

(e.) शोध परियोजना, DISSERTATION, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों एवं समर ट्रेनिंग आदि में सतत आन्तरिक मूल्यांकन नहीं होगा।

(f.) तीन आन्तरिक मूल्यांकन में से दो सर्वश्रेष्ठ प्राप्तांकों को विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सम/ विषम सेमेस्टर की परीक्षा के मूल्यांकन में पाये गए प्राप्तांकों के साथ जोड़ा जाएगा।

(g.) प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम दो आन्तरिक मूल्यांकन एवं एवं विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सम/ विषम सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है अन्यथा उस प्रश्नपत्र में विद्यार्थी को अनुपस्थित मानकर AB ग्रेड दिया जाएगा अर्थात विद्यार्थी को तीन आन्तरिक मूल्यांकन में से कम से कम दो आन्तरिक मूल्यांकन में उपस्थित होना अनिवार्य होगा नहीं तो वह विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सम/ विषम सेमेस्टर परीक्षा परीक्षा हेतु पात्र नहीं होगा एवं विद्यार्थी को उस प्रश्नपत्र में अनुपस्थित माना जाएगा।

(h.) सतत आन्तरिक मूल्यांकन उसी शिक्षक द्वारा किया जाएगा जो उस सत्र में उस प्रश्नपत्र का अध्यापन कार्य कर रहा है।

(i.) सतत आन्तरिक मूल्यांकन हेतु प्रश्नपत्र का निर्माण एवं सम्बंधित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, उस प्रश्नपत्र का अध्यापन कार्य करने वाले शिक्षक द्वारा ही किया जाएगा।

(j.) सतत आन्तरिक मूल्यांकन फीडबैक आधारित होगा। मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका विद्यार्थी को दिखाने एवं उनकी संतुष्टि के उपरान्त वापस ली जाएगी तथा परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद सम्बन्धित संस्था द्वारा कम से कम तीन महीने तक सुरक्षित रखी जाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार इनका परीक्षण किया जा सकता है।

(k.) सतत आन्तरिक मूल्यांकन के संदर्भ में सम्बंधित शिक्षक का निर्णय अन्तिम होगा।

(l.) सतत आन्तरिक मूल्यांकन में होने वाले समस्त व्यय को सम्बंधित संस्था द्वारा ही वहन किये जायेंगे।

(m.) सतत आन्तरिक मूल्यांकन हेतु समय-सारणी विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाएगी। प्रथम आन्तरिक मूल्यांकन के अंक द्वितीय आन्तरिक मूल्यांकन के पूर्व एवं द्वितीय के अंक तृतीय के पूर्व तथा तृतीय मूल्यांकन के अंक वाह्य परीक्षा के 15 दिन पूर्व लॉगिन में अपलोड करना सुनिश्चित करना होगा। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय लॉगिन बंद होने के पश्चात अंक किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

सैद्धान्तिक पाठ्यक्रमों का बाह्य मूल्यांकन (End Term Evaluation):

(n.) सम/विषम सेमेस्टर परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा सत्र (सेमेस्टर) के अंत में संपन्न कराई जाएगी।

(o.) लिखित सम/विषम सेमेस्टर परीक्षा **75 अंको** की होगी।

(p.) लिखित परीक्षा की कालावधि **2 घण्टे** एवं शब्द सीमा अधिकतम **2000** की होगी।

(q.) लिखित परीक्षा के प्रश्नपत्र सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को समाहित करते हुए बनाये जायेंगे। जिसमें अति लघुउत्तरीय, लघुउत्तरीय एवं दीर्घउत्तरीय प्रकार के प्रश्न होंगे और प्रश्नपत्र में प्रश्नों के उपयुक्त विकल्प दिए जायेंगे। विद्यार्थी को निम्नलिखित संख्या में प्रश्नों को हल करना होगा :-

प्रश्नों के प्रकार	**प्रश्नों की संख्या**	**कुल अंक**	**शब्द सीमा**
अति लघुउत्तरीय प्रश्न	03	03 X 03 = 09	50 शब्द
लघुउत्तरीय प्रश्न	04	04 X 09 = 36	200 शब्द
दीर्घउत्तरीय प्रश्न	02	02 X 15 = 30	500 शब्द
कुल योग	**09**	**75**	**अधिकतम 2000**

प्रायोगिक पाठ्यक्रमों की मूल्यांकन प्रणाली :

(a.) प्रायोगिक पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन भी 100 अंकों में होगा; जिनको क्रेडिट एवं ग्रेडिंग प्रणाली में परिवर्तित करके अंकपत्र तैयार होंगे।

(b.) इन 100 अंकों में 25 अंकों का सतत आन्तरिक मूल्यांकन तथा 75 अंकों की सत्रान्त परीक्षा होगी।

(c.) सत्रान्त में 75 अंकों की प्रायोगिक परीक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य/ विश्वविद्यालय की स्थिति में विभागाध्यक्ष द्वारा नियुक्त संबंधित विषय के दो शिक्षकों (एक आन्तरिक एवं एक बाह्य) द्वारा किया जायेगा। यहाँ पर आन्तरिक शिक्षक से तात्पर्य संबंधित विषय के प्रश्नपत्र का अध्यापन कार्य कर रहा शिक्षक है जबकि बाह्य शिक्षक से तात्पर्य संबंधित विषय के प्रश्न पत्र का अध्यापन कार्य न कर रहे शिक्षक से है। इस प्रकार बाह्य शिक्षक आपके महाविद्यालय से भी हो सकता है और आपके नजदीकी महाविद्यालय से भी हो सकता है। दोनों शिक्षक सम्बन्धित विषय का ही होना चाहिए।

(d.) महाविद्यालय द्वारा प्रायोगिक परीक्षकों की सूची प्रायोगिक परीक्षा आयोजन होने के 3 दिन पूर्व विश्वविद्यालय को सूचनार्थ अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जाएगी।

(e.) महाविद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षकों की अनुपलब्धता/असमर्थता की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोगिक परीक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है।

(f.) सत्रान्त में होने वाली प्रायोगिक परीक्षा के परीक्षकों का पारिश्रमिक भुगतान; महाविद्यालयों के प्राचार्य/विश्वविद्यालय की स्थिति में विभागाध्यक्ष के माध्यम से परीक्षकों द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। महाविद्यालयों के प्राचार्य/विश्वविद्यालय की स्थिति में विभागाध्यक्ष समस्त पारिश्रमिक बिल प्रमाणित करते हुए विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

(g.) मूल्यांकन के उपरान्त प्रायोगिक अंकों को ससमय पोर्टल में अपलोड करना होगा।

सह-पाठ्यक्रम/क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (Cocurricular/ Ability Enhancement Courses) की परीक्षा प्रणाली :

(a.) सभी सह-पाठ्यक्रम/AEC विषयों की परीक्षा बहु-विकल्पीय आधार (OMR Based) पर होगी। इसमें 75 अंकों के बहु-विकल्पीय प्रश्न होंगे; जिसमें प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर होंगे। गलत उत्तर के सापेक्ष ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा। इस प्रश्न पत्र की समयाविधि 2 घंटे होगी।

(b.) सह-पाठ्यक्रम विषयों में भी 25 अंकों का तीन अवसरों पर सतत आन्तरिक मूल्यांकन होगा।

(c.) सह-पाठ्यक्रमों/AEC विषय की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा सत्रान्त में आयोजित की जावेगी।

वैल्यू एडेड कोर्स की परीक्षा प्रणाली:

- सभी **वैल्यू एडेड कोर्स** की परीक्षा बहु-विकल्पीय आधार (OMR Based) पर होगी। इसमें 75 अंकों के बहु-विकल्पीय प्रश्न होंगे; जिसमें प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर होंगे। गलत उत्तर के सापेक्ष ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा। इस प्रश्न पत्र की समयाविधि 2 घंटे होगी।
- **वैल्यू एडेड कोर्स** में भी 25 अंकों का तीन अवसरों पर सतत आन्तरिक मूल्यांकन होगा।
- **वैल्यू एडेड कोर्स** की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा सत्रान्त में आयोजित की जावेगी।

व्यावसायिक तथा कौशल विकास की परीक्षा प्रणाली:

- वोकेशनल (Vocational) पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन 100 अंकों के सापेक्ष निम्नवत व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। इन पाठ्यक्रमों का संचालन, परीक्षा एवं मूल्यांकन महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के विभाग अपने स्तर से करेंगे।

  i) विद्यार्थी के प्रशिक्षण (ट्रेनिंग आधारित) कार्य का मूल्यांकन सत्रान्त में 60 अंकों में किया जायेगा।

  ii) 40 अंकों की सैद्धान्तिक परीक्षा भी सत्रान्त में सम्पन्न होगी।

- वोकेशनल (Vocational) पाठ्यक्रमों में सतत आन्तरिक मूल्यांकन नहीं होगा तथा विद्यार्थी के प्रशिक्षण कार्य एवं सैद्धान्तिक परीक्षा का मूल्यांकन अध्यापन कार्य करा रहे शिक्षक द्वारा किया जायेगा।

समर ट्रेनिंग:

- समर ट्रेनिंग का भी मूल्यांकन 100 अंकों के सापेक्ष होगा तथा इसमें आंतरिक मूल्यांकन नहीं होगा।
- विद्यार्थियों को समर ट्रेनिंग पूर्ण करने के उपरांत एक विस्तृत रिपोर्ट महाविद्यालय में जमा करनी होगी। इस रिपोर्ट के साथ जिस संस्था में विद्यार्थी द्वारा समर ट्रेनिंग पूर्ण की गई है ,उस संस्था द्वारा प्रदत्त समर ट्रेनिंग पूर्ण करने का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- विद्यार्थियों के समर ट्रेनिंग की रिपोर्ट (सम्बंधित संस्था के प्रमाण पत्र सहित) का मूल्यांकन विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष तथा महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य द्वारा नियुक्त दो आन्तरिक परीक्षकों द्वारा किया जायेगा।

- महाविद्यालय विद्यार्थियों के समर ट्रेनिंग की रिपोर्ट को 3 माह तक सुरक्षित रखेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा कभी भी इनका निरीक्षण किया जा सकता है।

शोध परियोजना (रिसर्च प्रोजेक्ट) का मूल्यांकन:

- स्नातक चतुर्थ वर्ष में शोध परियोजना का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त दो शिक्षकों (एक आन्तरिक एवं एक बाह्य) द्वारा किया जायेगा। आन्तरिक परीक्षक सम्बन्धित विद्यार्थी का सुपरवाइजर होगा तथा बाह्य परीक्षक विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

- महाविद्यालय विद्यार्थियों के शोध परियोजना को 3 माह तक सुरक्षित रखेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा कभी भी इनका निरीक्षण किया जा सकता है।

शोध-प्रबंध (Dissertation) का मूल्यांकन:

- विद्यार्थी को शोध प्रबंध हेतु शोध विषय एवं एक सुपरवाइजर परास्नातक प्रथम सेमेस्टर में ही आवंटित किया जायेगा।
- विद्यार्थी मूल्यांकन हेतु शोध प्रबंध (कम्प्यूटर टाइप-हार्डबाईंड) परास्नातक अंतिम सेमेस्टर में महाविद्यालय में जमा करेगा।
- परास्नातक अंतिम सेमेस्टर में विद्यार्थी के शोध प्रबंध का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त दो परीक्षकों (एक आन्तरिक एवं एक बाह्य) द्वारा 100 अंको के सापेक्ष किया जायेगा। यहाँ आन्तरिक परीक्षक सम्बन्धित विद्यार्थी का सुपरवाइजर होगा तथा बाह्य परीक्षक विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किया जायेगा।
- परीक्षक, विद्यार्थी द्वारा जमा किये गए शोध प्रबंध का मूल्यांकन करेंगे तथा विद्यार्थी परीक्षकों के समक्ष अपने शोध कार्य का प्रस्तुतीकरण देंगे। परीक्षक प्रस्तुतीकरण का भी मूल्यांकन करेंगे।
- महाविद्यालय बाह्य परीक्षक से संपर्क करके मूल्यांकन सम्पन्न करवाएंगे तथा ससमय मूल्यांकन के अंक विश्वविद्यालय के पोर्टल में अपलोड करेंगे।
- महाविद्यालय विद्यार्थियों के शोध-प्रबंध को 3 माह तक सुरक्षित रखेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा कभी भी इनका निरीक्षण किया जा सकता है।

प्रोन्नति :

- विद्यार्थी कुल 60 प्रतिशत क्रेडिट एवं CGPA-4 अर्जित करने के पश्चात ही अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा। 60 प्रतिशत क्रेडिट एवं CGPA-4 से कम प्राप्तांको की दशा में विद्यार्थी को पुनः अगले सत्र में उसी सेमेस्टर में प्रवेश लेकर अध्ययन करना होगा।
- जिन विद्यार्थियों ने स्नातक स्तर पर छः सेमेस्टर तक कुल CGPA-7.5 (75% तथा अधिक अंक) प्राप्त किये होंगे, केवल वे विद्यार्थी चार वर्षीय स्नातक (शोध सहित ऑनर्स) हेतु सातवें सेमेस्टर में प्रोन्नति हेतु अर्ह होंगे।
- CGPA-7.5 (75% अंक) से कम अंक पाने वाले विद्यार्थी भी चार वर्षीय स्नातक के लिए अर्ह होंगे किन्तु ऐसे विद्यार्थियों को सम्बन्धित संकाय में स्नातक (ऑनर्स) की उपाधि प्रदान की जाएगी।
- तीन वर्ष का स्नातक पूर्ण करने पर सम्बन्धित संकाय में स्नातक की उपाधि प्रदान की जाएगी।

बैक पेपर :

- आन्तरिक परीक्षा में बैक पेपर की सुविधा नहीं होगी। केवल पूर्ण सेमेस्टर को बैक परीक्षा के रूप में पुनः देने की स्थिति में सतत आन्तरिक मूल्यांकन किया जा सकता है।
- विद्यार्थी को बैक पेपर की सुविधा सम/विषम सेमेस्टर के पेपर्स के लिए सम/विषम सेमेस्टर्स में ही उपलब्ध होगी।
- किसी भी पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष/अन्तिम दो सेमेस्टर्स की बैक परीक्षा हेतु विश्वविद्यालय अपनी सुविधानुसार एक विशिष्ट बैक परीक्षा का आयोजन कर सकता है। जिससे सम्बन्धित सत्र के विद्यार्थियों का परिणाम उसी सत्र में पूर्ण किया जा सके।

- **समस्त पाठ्यक्रमों में 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू होगी जो निम्नवत है :-**

लेटर ग्रेड	ग्रेड पॉइंट	विवरण	अंको की सीमा
O	**10**	**Outstanding**	**91-100**
A+	**9**	**Excellent**	**81-90**
A	**8**	**Very good**	**71-80**
B+	**7**	**Good**	**61-70**
B	**6**	**Above Average**	**51-60**
C	**5**	**Average**	**41-50**
P	**4**	**Pass**	**33-40**
F	**0**	**Fail**	**0-32**
AB	**0**	**Absent**	**Absent**
Q	**-**	**Qualified**	**-**
NQ	**-**	**Not Qualified**	**-**

- Qualifying पाठ्यक्रमों में Qualified के लिए Q ग्रेड तथा Not qualified के लिए NQ ग्रेड दिया जायेगा।

- **SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत सूत्र के तहत की जाएगी :**

SGPA (Si) =∑(Ci x Gi) /∑Ci	**यहाँ पर :** **Ci** = the number of credits of the ith course in a semester **Gi**= the grade point scored by the student in the ith course.
CGPA = ∑(Ci x Si) / ∑ Ci	**Si**= Si is the SGPA of the ith semester **Ci**= the total number of credits in the ith semester.

- **CGPA को प्रतिशत अंको में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगा :**

समतुल्य प्रतिशत = CGPA x 10

- **विद्यार्थियों को निम्नवत सारणी के अनुसार श्रेणी प्रदान की जाएगी :**

श्रेणी	वर्गीकरण
विशिष्टता के साथ प्रथम श्रेणी	8.00 अथवा उससे अधिक CGPA प्राप्त अभ्यर्थी को।
प्रथम श्रेणी	6.50 अथवा उससे अधिक तथा 8.00 से कम CGPA प्राप्त अभ्यर्थी को।
द्वितीय श्रेणी	5.00 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA प्राप्त अभ्यर्थी को।
उत्तीर्ण श्रेणी	4.00 अथवा उससे अधिक तथा 5.00 से कम CGPA प्राप्त अभ्यर्थी को।

18. समस्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थी उत्तीर्णता प्रोत्साहित करने के लिए प्रति सेमेस्टर 02 अंकों के कृपांक (Grace Marks) का प्रावधान किया जा सकता है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम/समर ट्रेनिंग/शोध परियोजना/शोध-प्रबन्ध (Dissertation) में कृपांक का प्रावधान नहीं होगा। कृपांक के आधार पर उत्तीर्णता श्रेणी प्राप्त विद्यार्थी किसी भी प्रकार के पदक प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।

19. विश्वविद्यालय भविष्य में उपर्युक्त दिशानिर्देशों में किसी भी प्रकार का संशोधन एवं परिवर्तन कर सकता है। विश्वविद्यालय उपर्युक्त किसी भी बिन्दु को किसी भी समय निरस्त कर सकता है।

20. वैधानिक संस्थाओं जैसे NCTE, BCI, PCI, ICAR एवं अन्य के अन्तर्गत संचालित समस्त पाठ्यक्रमों का अध्यापन एवं परीक्षाएं इन संस्थाओं के नियमानुसार होंगी।

कुलसचिव

Programme Structure for TYUP, FYUP, OYPP and TYPP- 2024-2025 for B.Com, BBA, BCA

Nature of Degree	Year	Semester	Subject-1 and 2	Subject-3	Vocational/Skill Enhancement Course (SEC)	Co-curricular/ Ability Enhancement Course (AEC)	Summer Training	Value Added Course (VAC)	Research Project/Dissertation/ Internship/Field work/survey work	(Minimum Credits) & NCrF Credit level
			Major (Core)	Minor* (Elective Multidisciplinary)	SEC	AEC	Summer Training	VAC	Research	
			1/3/4/5 Credits	1/4/5 Credits	3 Credits	3 Credits	2 Credits	2 Credits	12/20 Credits	
			Own faculty	Own faculty	Any faculty	Any faculty	Any faculty	Any faculty	Own faculty	
Certificate in Faculty	1	I	Theory-2(5) or Theory-3(3) + Practical-1 (1)	Th-1(5) or Th-1(4) + Practical-1 (1)	1(3)	-	-	1(2)	-	20
		II	Theory-2(5) or Theory-3(3) + Practical-1 (1)	Th-1(5) or Th-1(4) + Practical-1 (1)	-	1(3)	1(2)	-	-	20
Diploma in Faculty	2	III	Theory-2(5) or Theory-3(3) + Practical-1 (1)	Th-1(5) or Th-1(4) + Practical-1 (1)	1(3)	-	-	1(2)	-	20
		IV	Theory-2(5) or Theory-3(3) + Practical-1 (1)	Th-1(5) or Th-1(4) + Practical-1 (1)	-	1(3)	1(2)	-	-	20
TYUG Degreen in Faculty	3	V	Theory-4(5)	-	-	-	-	-	-	20
				-	-	-	-	-	-	
		VI	Theory-4(5)	-	-	-	-	-	-	20
				-	-	-	-	-	-	

The minor subject/course will be from same major subject.

Note: Every theoretical course will be worth five credits; if there is a practical course, it will be worth one credit, and the associated theory courses will be worth four credits like Th-1(4) + Practical-1 (1).

FYUG Degree (Honours with Research) in Faculty/ Diploma in PG	4	VII	20	-	-	-	-	-	-	20
		VIII	8	-	-	-	-	-	12	20
Master in Faculty	5	IX	20	-	-	-	-	-	-	20
		X	-	-	-	-	-	-	20	20

Note: A structure format for PG courses enclosed separately.

Programme Structure for TYUP, FYUP, OYPP and TYPP- 2024-2025 for BA and B.Sc.

Nature of Degree	Year	Semester	Subject-1	Subject-2	Subject-3	Vocational/Skill Enhancement Course (SEC)	Co-curricular/ Ability Enhancement Course (AEC)	Summer Training	Value Added Course (VAC)	Research Project/Dissertation/ Internship/Field work/survey work	(Minimum Credits) & NCrF Credit level
			Major (Core)	Major (Core)	Minor (Elective Multidisciplinary)	SEC	AEC	Summer Training	VAC	Research	
			1/4/5 Credits	1/4/5 Credits	4/5/6 Credits	3 Credits	3 Credits	2 Credits	2 Credits	12/20 Credits	
			Own faculty	Own faculty	Any faculty	Any faculty	Any faculty	Any faculty	Any faculty	Own faculty	
Certificate in Faculty	1	I	Th-1(5) or Th-1(4) + Practical-1 (1)	Th-1(5) or Th-1(4) + Practical-1 (1)	Th-1(5) or Th-1(4) + Practical-1 (1)	1(3)	-	-	1(2)	-	20
		II	Th-1(5) or Th-1(4) + Practical-1 (1)	Th-1(5) or Th-1(4) + Practical-1 (1)	Th-1(5) or Th-1(4) + Practical-1 (1)	-	1(3)	1(2)	-	-	20
Diploma in Faculty	2	III	Th-1(5) or Th-1(4) + Practical-1 (1)	Th-1(5) or Th-1(4) + Practical-1 (1)	Th-1(5) or Th-1(4) + Practical-1 (1)	1(3)	-	-	1(2)	-	20
		IV	Th-1(5) or Th-1(4) + Practical-1 (1)	Th-1(5) or Th-1(4) + Practical-1 (1)	Th-1(5) or Th-1(4) + Practical-1 (1)	-	1(3)	1(2)	-	-	20
TYUG Degreen in Faculty	3	V	Th-1(5) or Th-1(4) + Practical-1 (1)	Th-1(5) or Th-1(4) + Practical-1 (1)	-	-	-	-	-	-	20
			Th-1(5) or Th-1(4) + Practical-1 (1)	Th-1(5) or Th-1(4) + Practical-1 (1)	-	-	-	-	-	-	
		VI	Th-1(5) or Th-1(4) + Practical-1 (1)	Th-1(5) or Th-1(4) + Practical-1 (1)	-	-	-	-	-	-	20
			Th-1(5) or Th-1(4) + Practical-1 (1)	Th-1(5) or Th-1(4) + Practical-1 (1)	-	-	-	-	-	-	

Note: Every theoretical course will be worth five credits; if there is a practical course, it will be worth one credit, and the associated theory courses will be worth four credits like Th-1(4) + Practical-1 (1).

FYUG Degree (Honours with Research) in Faculty/ Diploma in PG	4	VII	20	-	-	-	-	-	-	20
		VIII	8	-	-	-	-	-	12	20
Master in Faculty	5	IX	20	-	-	-	-	-	-	20
		X	-	-	-	-	-	-	20	20

Note: A structure format for PG courses enclosed separately.

Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Prayagraj

(2024-2025 onwards)

COURSE STRUCTURE WITH CREDITS DISTRIBUTION
(for MA, M.Sc., M.Com, MBA, MCA etc.)

UG SEMESTER-VII/PG SEMESTER-I

Course Code		Course Name	Maximum Credits (20)
	Core	Title of the course	4 Credits
	Core	Title of the course	4 Credits
	Core	Research Methodology	4 Credits
	Discipline Centric Elective (Select any one)	Title of the course	4 Credits
		Title of the course	
	Discipline Centric Elective (Select any one)	Title of the course	4 Credits
		Title of the course	

UG SEMESTER-VIII (for Four Year Undergraduate Programme who obtained above 75% Marks)/ PG SEMESTER- II (for Two Year Post Graduate Programme- lateral entry)

Course Code		Course Name	Maximum Credits (20)
	Core	Title of the course	04 Credits
	Core	Title of the course	04 Credits
	Research Project	Research Project	12 Credits

OR

UG SEMESTER-VIII (for Four Year Undergraduate Programme who obtained below 75% Marks)/ PG SEMESTER- II (for Two Year Post Graduate Programme- lateral entry)

Course Code		Course Name	Maximum Credits (20)
	Core	Title of the course	4 Credits
	Core	Title of the course	4 Credits
	Discipline Centric Elective (select any one)	Title of the course	4 Credits
		Title of the course	
	Discipline Centric Elective (select any one)	Title of the course	4 Credits
		Title of the course	
	Ability Enhancement Course (select any one)	Title of the course	4 Credits
		Title of the course	

Note: The Core Course will be same in the both of UG Semester-VIII and PG Semester-II.

PG SEMESTER-III/PG SEMESTER-I (One Year PG Programme-Lateral Entry)

Course Code		Course Name	Maximum Credits (20)
	Core	Title of the course	4 Credits
	Core	Title of the course	4 Credits
	Discipline Centric Elective (select any one)	Title of the course	4 Credits
		Title of the course	
	Discipline Centric Elective (select any one)	Title of the course	4 Credits
		Title of the course	
	Ability Enhancement Course (select any one)	Title of the course	4 Credits
		Title of the course	

PG SEMESTER-IV/PG SEMESTER-II (One Year PG Programme)

Course Code		Course Name	Maximum Credits (20)
	MRP	MASTER DISSERTATION	20 Credits